

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 17, 2002/पौष 27, 1923

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 2002/PAUSA 27, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 38(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री सुरेन्द्र मोतीलाल पटेल को कांडला पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में 31-3-2002 तक न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 24 मई, 2000 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 489(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“16. श्री सुरेन्द्र मोतीलाल पटेल —अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए”।
“तपस”, 42-बी,
बंसीधर सोसायटी,
जवाहन नगर रोड, वसना, पलदी,
अहमदाबाद।

[फा. सं. पी टी-18011/6/99-पी टी]

आर.के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 38(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Surendra Motilal Patel as a Trustee on the Board of Trustees of Kandla Port Trust upto 31-3-2002 and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 489(E) dated 24th May, 2000.

2. In the said notification, Serial No. 16 and the entry relating thereto shall be substituted by the following, namely :—

“16. Shri Surendra Motilal Patel —Representing
“TAPAS”, 42-B, Other Interests”.
Bansidhar Society,
Jawahar Nagar Road, Vasna, Paldi,
Ahmedabad.

[F. No. PT-18011/6/99-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

